न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा पत्र संख्या :– 06/2019

1. भैरू आत्मज भोजा जी गुर्जर निवासी सामरियाकला तह0 बेगूँ
2. प्रकाश आत्मज भोजा जी गुर्जर निवासी झाडोल (सामरियाकला)
3. श्रीमती भगवानीबाई बेवा भोजा जी गुर्जर निवासी सामरियाकला तह0बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. श्री राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलेक्टर साहब चितौडगढ़
2. श्रीमान तहसीलदार साहब बेगूँ (भूमिधारी)

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री सत्यनारायण ईनाणी
अधिवक्ता वादीगण
श्री तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार सरकार प्रतिवादी

निर्णय दिनांक :– 12.03.2025

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वादपत्र इस प्रकार से है कि वादी संख्या 1 व 2 के पिता व वादी के पति स्व. भोजा जी आत्मज धासी जी गुजर निवासी झाडोल (सामरियाकलां) को जरिये प्रकरण संख्या 778/86 से भू आवंटन सलाहाकार समिति बेगूँ द्वारा दिनांक 16.06.1986 को ग्राम तुम्बा तह0 बेगूँ की आराजी संख्या 138 रकबा 6 बीघा भूमि अलोट की गई जिस पर स्व0 भोजा जी और उनके स्वर्गवास के पश्चात वादीगण बराबर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि उपरोक्त आराजीयात पर आवंटन के पश्चात से ही स्व0 भोजा जी और उनके स्वर्गवास के पश्चात वादीगण ने काफी खर्च व अंग मेहनत से भूमि को आबाद कर कृर्षि योग्य बनाया और आज बराबर काबिज हो कर काश्त करते चले आ रहे हे किन्तु राजस्व कर्मचारियो ने बार बार आग्रम करने पर भी भूमि रेकार्ड में वादीगण के खातेकदारी के रूप में अंकित नहीं की और बाद में वह बिलानाम ही चलती रही है और बाद में हाल ही में उसे चरनोट अंकित कर दी जो पूर्णतया गलत है। क्यो कि यह भूमि बिलानाम काबिल काश्त होने से स्वर्गीय भोजा जी को आवंटित की गई और आबाद होकर कृर्षि कार्य हो रहा है जो न तो कभी चरनोट रही और न ही आज भी मौके पर कोई चरनोट है। अपितु वादीगण काबिज होकर लगातार कृषि कार्य कर रहे है। वादीगण इस अंकन को शून्य घोषित कराने एवं अपने आपको इस आराजी के खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है।

यह कि बिनाए दावा दिनांक 1 जनवरी 2013 से शुरू होती है जबकि पटवारी हल्का द्वारा वादीगण को यह कहा गया कि आराजी चरनोट में अंकित हो चुकी है। तद्पश्चात वादीगण ने दिनांक 08.02.2013 को धारा 80 जा0 दी के अन्तर्गत पंजीकृत सूचना पत्र देकर प्रतिवादीगण को उपरोक्त गलत अंकन हटाकर आराजी वादीगण के खाते में अंकित करने की मांग की जिसे दो माह की अवधि समाप्त हो चुकी है और प्रवितादीगण ने न तो कोई उत्तर दिया है और न ही रेकार्ड में कोई सुधार किया हे जिससे यह वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

अतः वादीगण की प्रार्थना है कि :–

(अ) पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण घोषणा की डिकी प्रदान की जाकर यह धोषित फरमाया जावें कि ग्राम तुम्बा तह0 बेगूँ की आराजी नम्बर 138 रकबा 6 बीघा को चरनोट में अंकित किया जो अनुचित एवं अवैध होकर वादीगण के मुकाबले शून्य एवं प्रभावहीन है और इस इन्द्राज को विलोपित किया जाकर यह आराजी वादीगण के नाम पर बहेसियत खातेदार अंकित किये जाने की डिकी प्रदान की जावें।

(ब) खर्चा मुकद्मा प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

(स) अन्य सहायता जो मुफीद हो और न्यायालय उचित समझे वादी को दिलवायी जावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

वादीगण का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार तहसीलदार द्वारा अपना जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम तुम्बा आराजी नम्बर 138 रकबा 5.1000 हैक्टर भटबेड भूमि चारागाह हेतु आरक्षित भूमि है। पत्रावली में प्रतिवादी पैरोकार सरकार की आरे से जवाब दावा प्रस्तुत होने पर निम्न लिखित तनकी पत्र पत्रावली में कायम किया गया::—

1— आया कि ग्राम तुम्हा की आराजी नम्बर 138 रकबा 6 बीघा को चरनोट में अंकित किया जो अनुचित एवं अवैध होकर वादीगण के मुकाबले शून्य एवं प्रभावहीन है और इस इन्द्राज को विलोपित किया जाकर यह आराजी वादीगण के नाम खातेदारी से अंकित कराने की घोषणा करा पाने के वादीगण अधिकारी है?

वादीगण

2— आया कि ग्राम तुम्बा प0ह0 सुवाणिया की वर्तमान आराजी नम्बर 138 रकबा 5.1000 हैक्टर भूमि राजस्व रेकार्ड में चारागाह हेतु आरक्षित भूमि है उक्त भूमि चारागाह हेतु आरक्षित होने से वादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज किया जाना संभव नहीं है। वाद वादी का खारिज होने योग्य है।

यह दावा पत्रावली न्यायालय में साक्ष्य वादी हेतु विचाराधीन थी, इस पत्रावली में राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प काटून्दा पर वास्ते निर्णय रखाया जाकर प्रकरण में दोनो पक्षो को सुना जाकर दिनांक 09.06.2015 को निर्णय निम्न प्रकार से किया गया :—

" अतः वाद वादीण्गा का अ0धा0 88 आर0टी0एक्ट का दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होने से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।"

उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रथम माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ के न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी चितौडगढ द्वारा उनके निर्णय दिनांक 02.02.2018 से अपील अपीलान्ट की स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ द्वारा प्रकरण संख्या 65/2013 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.06.2015 अपास्त की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्षो की विधिवत सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है।

पत्रावली में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चितौडगढ के निर्णय की पालना में पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रकरण में वादीगण की ओर से साक्ष्य हेतु साक्ष्य शपथ पत्र वादी प्रकाश आत्मज भोजा का प्रस्तुत किया गया, वादी द्वारा पत्रावली में उनकी ओर से प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराते हुए अपने बयान कलम बद्ध कराये गये। प्रकरण में वादीगण की साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रकरण में साक्ष्य पूर्ण होने जाने के पश्चात उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्व सुना गया।

बहस में अधिवक्ता वादीगण ने वादपत्र के अनुसार ही निवेदन करते हुए कहा कि वादवर्णित भूमि का आवंटन वादीगण के पिता भोजा जी को हुआ था तभी से वह आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है किन्तु भूमि वादीगण के खाते में दर्ज नहीं की जाकर चारागाह दर्ज राजस्व रेकार्ड कर दी गई है जो वादीगण के आवंटन के मुकाबले शून्य होकर वादीगण उक्त आराजी के खातेदारी अधिकारी पाने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाया जावें। वहस में उपस्थित तहसीलदार बेगूँ द्वारा वादवर्णित भूमि के आरक्षित चारागाह होने से वादीगण का वादपत्र का खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली में वहस उभयपक्ष की सुने जाने के पश्चात हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन किया गया। पत्रावली में कायम तनकी पत्र के अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:—

1—तनकी नम्बर 1 का निर्णय ::—

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है। वादीगण द्वारा उनके वादपत्र के समर्थन में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उनमे प्रदर्श— 1 नकल जमाबंदी मौजा तुम्बा सम्वत 2068 से 2071 की प्रस्तुत की है, जिसमें दर्ज वादवर्णित आराजी नम्बर 138 रकबा 5.1000 हैक्टर भूमि चारागाह हेतु आरक्षित ना.नं. 98 के नाम पर अंकित है। इस प्रकार वर्णित भूमि वादीगण के पिता के नाम पर दर्ज नहीं है। प्रदर्श—2 दफा 80सी.पी.सी. का नोटिस है जो वादीगण के अधिवक्ता द्वारा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़

राज्य सरकार के प्रतिनिधी को व भूमिधारी को जरिये पंजीकृत जारी किया गया था जिसकी प्रेषित की रसीद प्रदर्श– 3 व प्रदर्श– 4 है। प्रदर्श–5 नकल पर्चामौका कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूं का पर्चामौजा रिपोर्ट मि.नं. 77/86 में दिनांक 26.09.87 का है। पर्चामौका में अंकित किया गया है कि " आज दिनांक को आराजी नम्बर 138 पर पहुँचा यहाँ पर श्री भोजा पिता धारी गूजर को मि.नं. राज0/86 के कम सं. 43 अनुसार ग्राम तुम्बा के आराजी नम्बर 138 में से 6 बीघा किरम जमीन भटेड मापकर आवंटी को सुपुर्द की एवं मौतबीरान के हस्ताक्षर लिये गये। प्रदर्श– 6 नकल आवंटन आदेश आवंटन कमेटी सामरियाकला का अवलोकन किया जिसमें भूमि मौजा तुम्बा की आराजी नम्बर 138 रकबा 6 बीघा भूमि का आवंटन होना जाहिर आया है नकल पर नाम श्री भोजा पुत्र धारी का अंकित है।

वादीगण का द्वारा प्रस्तुत इन सभी दस्तावेज के अवलोकन से यह सिद्ध नहीं होता है कि आवंटन के पश्चात वादीगण के पिता को आवंटित भूमि का कब्जा सिपुर्द किया गया वह वादीगण के पिता द्वारा लागातार कब्जा कायम रखते हुए उस पर काश्त की गई, इस सम्बन्ध में कब्जा जब आवंटी को सुपुर्द किया गया था तभी मोतबीरान के समक्ष किया जिनके हस्ताक्षर करवाये गये किन्तु वादीगण की ओर से कोई साक्ष्य या स्वतंत्र गवाह के बयान पत्रावली में नहीं कराये गये है। जो इस तथ्य को सिद्ध नहीं करते है कि वादीगण का कब्जा लगातार आराजी पर रहा हैं। नियमानुसार आवंटन नियम के अनुसार आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त प्रतिवर्ष का होने पर भूमि को गैरखातेदारी में तथा तदोपरान्त खातेदारी में अधिकार दिये जाने के प्रावधान है, किन्तु यह आवंटित भूमि का गैरखातेदारी से भी नामान्तरण वादीगण के पिता के नाम पर नहीं खोला गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि आवंटन के पश्चात उनका कब्जा इस भूमि पर नही रहे जाने से भूमि को आरक्षित चारागाह हेतु जरिये नामान्तरण संख्या 98 से दर्ज कर दिया गया था। वादीगण द्वारा चारागाह दर्ज किये जाने पर उक्त नामान्तरण विरूद्ध भी अपील समक्ष न्यायालय में दायर नहीं की है।

वादीगण द्वारा कब्जाकाश्त होकर क्या क्या फसल इस आराजी से ली गई है इस सम्बन्ध में भी कोई ठोस प्रमाण तथा खसरा गिरदावरी की नकले प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार हमारी विनम्र राय से वाद वर्णित भूमि मौजा तुम्बा की आराजी संख्या 138 नरकवा 5.1000 हैक्टर भूमि जो कि आरक्षित चारागाह भूमि है पर वादीगण को खातेदारी अधिकार दिये जाने का यह वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सिद्ध नहीं होता हैं। इस प्रकार तनकी नम्बर 1 विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

2– <u>तनकी नम्बर 2 का निर्णय</u> :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी पैरोकार सरकार का हैं। प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा वादीगण के वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए भूमि का आरक्षित चारागाह होने का कथन अपने जवाव में किया है, जैसा कि तनकी नम्बर 1 में उल्लेखत प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी मौजा तुम्बा की से सिद्ध हो जाता है कि मौजा तुम्बा की वादवर्णित आराजी नम्बर 138 रकवा 5.1000 हैक्टर भूमि आरक्षित चारागाह है, तथा तनकी नम्बर विरूद्ध वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर की गई है। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है किन्तु तनकी नम्बर 1 वादीगण के विरूद्ध निर्णित होने एवं वादीगण का वादपत्र वर्णित भूमि आरक्षित चारागाह होने से वादीगण इस भूमि को अपने पक्ष में घोषित करा पाने के अधिकारी नहीं पाये जाते है। अतः यह तनकी नम्बर 2 भी वहक प्रतिवादी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

इस प्रकार पत्रावली में कायम दोनो ही तनकी दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर वादीगण के विरूद्ध निर्णित होने से वादीगण का वादपत्र सिद्ध नहीं होता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का साक्ष्य दस्तावेज से सिद्ध नहीं होने से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(वन्दना नरेश)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूं

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा पत्र संख्या :– 06/2019

1. भैरू आत्मज भोजा जी गुर्जर निवासी सामरियाकला तह0 बेगूँ
2. प्रकाश आत्मज भोजा जी गुर्जर निवासी झाडोल (सामरियाकला)
3. श्रीमती भगवानीबाई बेवा भोजा जी गुर्जर निवासी सामरियाकला तह0बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. श्री राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलेक्टर साहब चितौडगढ़
2. श्रीमान तहसीलदार साहब बेगूँ (भूमिधारी)

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण ईनाणी की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री .....की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 12.03.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का साक्ष्य दस्तावेज से सिद्ध नहीं होने से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 12.03.2025 को तैयार की जाकर मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ